

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 13/75-93 वि-1 5 दिनांक चण्डीगढ़ 22. 9. 93

आर. ई. डी. हाई स्कूल छुछकवास (रोहतक) को पहली से दसवीं तक की स्थायी मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के संबन्धक स्कूल अपने ही साधनों से चलायेगे और ग्रांट की मांग नहीं करेगे ।
2. भावी नियुक्तियों के समय आरक्षण का ध्यान रखेगे ।
3. एजुकेशन कोड में अंकित सभी शर्तों का पूर्णतया पालन करेगे ।

एस. के. जोशी  
अपर निदेशक विद्यालय


पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़

24-9-93


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक ।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।
3. चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
4. अधीक्षक एन. एच. सी. शाखा (स्थानीय)
5. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा ।
6. आंकडा अधिकारी (स्थानीय)
7. मैनेजर आर. ई. डी. हाई स्कूल छुछकवास (रोहतक)
8. विद्यालय-1 शाखा के सहायक 3 तथा 6.

9. 10. 2009  
24-9-93  
अपर निदेशक वि-1 93

  
Secretary,  
MANAGING COMMITTEE  
R.E.D. Sr. Sec. School  
Chhuchhakwas (JHAJJAR)

कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

  
Principal,  
R.E.D. Sr. Sec. School  
Chhuchhakwas (Jhajjar)